

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या..... 38 .....

वर्ष 20.23...

विविधवाद / प्रथम अपील



DISPOSED

बनाम

अपीलकर्ता श्री कमेश सिंह  
ग्राम फौचायत-कोपी, पृ०-मनिका  
जिला- लातेहार।

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आयोग की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
२७.०७.२०२३	<p style="text-align: center;"><u>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग</u>  <u>कैम्प कार्यालय, लातेहार</u>  <u>वाद सं-३४ / २०२३</u></p> <p>आज दिनांक-27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक-09 पर अंकित शिकायतकर्ता श्री कमेश सिंह, ग्राम+पंचायत-कोपे, प्रखण्ड-मनिका, जिला-लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि माह मार्च एवं अप्रैल, 2023 का राशन उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि ई-पॉस मशीन में शिकायतकर्ता की पत्ती का अंगूठा का निशान मैच नहीं हो रहा था। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में इस बात का उल्लेख किया है कि डीलर राशन नहीं देता है। प्रत्येक माह मिलने वाला अनाज में कटौती करता है। मामले में आयोग के पत्रांक-WA/411/2023 दिनांक-11.07.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था, परन्तु आयोग के निर्देश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।</p> <p>आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि इस मामले में जाँच करें। परिवादी को भी निर्देश दिया गया कि यदि उनकी पत्ती के अंगूठे का निशान ई-पॉस मशीन में मैच नहीं कर रहा था, तो वे स्वयं भी राशन लेने जा सकते हैं। यदि दोनों के अंगूठे का निशान ई-पॉस मशीन में मैच नहीं कर रहा है, तो शिकायतकर्ता को अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।</p> <p style="text-align: center;">           (शबनम परवीन)          सदस्य,          राज्य खाद्य आयोग, राँची।       </p> <p style="text-align: center;">           (हिमांशु शेखर चौधरी)          अध्यक्ष,          राज्य खाद्य आयोग, राँची।       </p>	